क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 5916 /क्षेका/प्रनिबो/2017 भोपाल,दिनांक 14/9/2017

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका कार्यालय,
इटारसी, जिला–होशंगाबाद, (म.प्र.)।

विषयः– सीमेन्ट गोदाम से होने वाले प्रदूषण के संबंध में प्राप्त जन शिकायत।

संदर्भः– श्री सुरेन्द्र मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड़ रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत में यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ती है। इस कारण आस–पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः आपसे निवेदन किया गया था कि इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत के निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही कर समस्या का निराकरण करें। इसी आशय के साथ पोर्टल के माध्यम से शिकायत आपको हस्तांतरित की जा रही है।

संलग्नः– सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 3517944 दिनांक 19/03/2017

O/C

for क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक 5917 /क्षेका/प्रनिबो/2017 भोपाल,दिनांक 14/9/2017

प्रतिलिपिः–

- श्री सुरेन्द्र मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद।

O/C

for क्षेत्रीय अधिकारी

निरीक्षण प्रतिवेदन

सदर्भः— डॉ. श्री. एस मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड़ रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद से प्राप्त शिकायत।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उक्त शिकायत सी.पी.सी.बी के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ती है। इस कारण आस–पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से निवेदन किया गया था कि इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत सी.एम.हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत के निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध मे कोई कार्यवाही की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से इस सबंध में चर्चा की गई उनको शिकायत के संबंध में कोई भी जानकारी नही थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित निर्देश चाहे गये थे तदानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को इस कार्यालय के पत्र क्रं 5916 दिनांक 14/09/2017 (संलग्न) के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया, पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को हस्तांरित की गई है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(डॉ. ए.सी.करेरा)
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

10677

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 6187 / क्षेका / प्रनिबो / 2017 भोपाल,दिनांक 3/10/2017

प्रति

विधि अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

14712
5/10/17

विषयः– सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क्र. 218 दिनांक 14.09.2017

.........00.........

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

6/10

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb bpl@rediffmail.com

क्रमांक 6182 /क्षेका/प्रनिबो/2017 भोपाल,दिनांक 3/10/2017

प्रति,

विधि अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

विषयः– सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत।

संदर्भ :– मुख्यालय का पत्र क्र. 218 दिनांक 14.09.2017

.........00.........

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

2

स्मरण पत्र

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कालोनी,भोपाल-462016

Fax no.-91-755-2463742 E-mail : mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 218/विधि/विजि/होशंगाबाद/28/2017 भोपाल,दिनांक/ 14/9/17

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत् ।

संदर्भः- मुख्यालय का पत्र क्रमांक 1380 दिनांक 18.5.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ0 श्रीमती एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इटारसी (म.प्र.) से प्राप्त शिकायत के संबंध में चाहा गया निरीक्षण प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है कृपया चाहा गया प्रतिवदेन 10 दिवस में भेजने का कष्ट करें ।

(सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी

F.M.28 C

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कालोनी,भोपाल-462016
Fax no -91-755-2463742 E-mail:it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1380 /विधि/विजि क्षेकाभो/जिभो 92 2017 भोपाल,दिनांक 18/5

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ0 श्रीमती एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इटारसी (म.प्र.) से प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है, कृपया शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जॉच कर विस्तृत प्रतिवेदन 10 दिवस में भेजने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित्

O/C (सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी

[illegible] admitted to hospital [illegible] had been admitted [illegible] tendency towards increasing [illegible]

[illegible] Epidemiology [illegible] and International [illegible] ambient air pollutants [illegible] retrospective [illegible] approaches [illegible] and two hospitals [illegible] compare the diseases [illegible] level air pollutant concentrations [illegible] such as PM_{10} [illegible] in the cross-sectional study [illegible] higher percentage of related diseases [illegible] pollutant. A relative risk ratio [illegible] villages, the exposed subjects [illegible] more likely to develop the [illegible]

[illegible] control [illegible]

[illegible] 250 [illegible]

[illegible]

[illegible] in the present [illegible]

[illegible] samples [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EL 757 [illegible]

F.N. 28 B

[illegible] REMIND[illegible] [illegible]

[illegible] INDIA

[illegible]

[illegible]

[illegible] (7 [illegible])

[illegible] control [illegible]

[illegible]

report [illegible] ([illegible] 6. 14) [illegible]

[illegible]

[illegible] report

[illegible] Sh[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2016 [illegible] CPA

[illegible] OF INDIA

[illegible] CLIMATE CHANGE

[illegible]

Indira Paryavaran Bha[illegible]
2[illegible] Floor, Prithi[illegible]
Jorbagh R[illegible]
New Delhi [illegible]

Dated: [illegible] February [illegible]

The Member Secretary
[illegible]
[illegible]
[illegible] 05.

[illegible]

[illegible] 2016 received from [illegible] Madhya Pradesh [illegible]

[illegible] may be taken and the [illegible] further necessary action [illegible]

Yours [illegible]

[illegible]

Speed Post

F.N. 28/A

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

B-33014/7/2016-17/IPC-II 2277

April 11, 2017

To,

The Member Secretary
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462 016, Madhya Pradesh

6791
12/5/17

Sub: Complaint received through MoEF & CC regarding illegal loading in Cement rucks.

Ref: Letter No. Q-16016/03/2017-CPA Dated: 28th February, 2017 of MoEF & CC

Sir,

A complaint is received from Dr. Smt. S. Mehta, Near Janta Talkies Lakkad Gunj, Nehru Gunj, Barsi, Madhya Pradesh, through MoEF & CC regarding air pollution due to illegal unscientific loading in cement trucks. The copy of complaint is enclosed.

It is requested that the matter may kindly be examined at appropriate level and action as deemed fit may please be taken.

Encl: As above

Yours faithfully,

(N.K Gupta)
Divisional Head – IPC- II

L.O. — RO to ... / ...

निरीक्षण [illegible]

[illegible] १९९८ [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGIONAL ...
M.P. POLLUTION CO... ROL BOARD,
Paryawaran Parisar, E-5, A... Colony, Bhopal (M.P.)
Phone No. -0755-24...392 E-mail :- ...ppcb_bpl@rediffmail...

AIR ANALYSIS REPORT

Analysed By :-

Description of sample	Date of collection	Collected by	Da...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AMBIENT AIR MONITORING RESULT

Parameters	Unit
[illegible]	[illegible]

Report Prepared by

Chief

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटारसी

क्रमांक / नपाई / 18

इटारसी दिनांक 8 /01/ /18

प्रति,

सिंध हार्डवेयर
जनता टाकीज के पास
इटारसी

विषय :– सीमेंट गोदाम से उड़ने वाले प्रदूषण के संबंध में प्राप्त जनशिकायत के तत्काल निराकरण बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि यह पाया गया है कि, सीमेंट गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग के समय सीमेंट हवा में उड़ता है इस कारण आस–पास के रहवासियों को परेशानी होता है चूंकि उक्त व्यवसायिक गतिविधि नगरपालिका इटारसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त रहवासी क्षेत्र से अपनी सीमेंट गोदाम उक्त स्थल से हटाकर अन्यत्र स्थापित करें जिससे रहवासी क्षेत्र के निवासियों को परेशानी न होवे।

आपके द्वारा एक सप्ताह में सीमेंट गोदाम अन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है तो नगरपालिका परिषद द्वारा आप पर दंड आरोपित किया जावेगा। इसके बाद भी आपके द्वारा सीमेंट गोदाम अन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है तो आपके विरुद्ध नगरपालिका परिषद इटारसी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, इटारसी

पृ. क्रमांक / नपाई / 18 1236

इटारसी दिनांक 8 / 01 / 18

प्रतिलिपि :–

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका परिषद इटारसी की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. डॉ श्रीमति एस. मेहता, मे. सिंध हार्डवेयर के पास, जनता टाकीज रोड, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, इटारसी

08/01/2018

Sindi-Hardware-jan2018

31

स्मरण पत्र

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कालोनी,भोपाल-462016

फैक्स 0755-2463742 ई-मेल mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 08 विधि विजि होशंगाबाद/28/2017 भोपाल,दिनांक 01/01/18

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- सीमेंट गोदाम के संबंध में प्राप्त शिकायत् ।

संदर्भः- 1. मुख्यालय का पत्र कमांक218 दिनांक 14.9.17

2. आपका पत्र कमांक 6187 दिनांक 3.10.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त पत्र के साथ डॉ0 श्रीमती एस. मेहता जनता टॉकीज के पास, लक्कड़गंज, इटारसी (म.प्र.) की शिकायत के संबंध में आपके कार्यालय से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। कृपया शिकायत के परिपेक्ष्य में संस्थान के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कर, मुख्यालय को 10 दिवस में सूचित करने का कष्ट करें ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित्

(सुधीर श्रीवास्तव)
विधि अधिकारी

[illegible] से [illegible] प्राप्त करने के [illegible] आवेदन प्रस्तुत [illegible] उपरोक्त [illegible] [illegible] [illegible] पूर्व सुनवाई [illegible] [illegible] है.

[illegible] आपत्ति प्रस्तुत [illegible] हो तो [illegible] [illegible] के माध्यम से [illegible] दिनांक से 5 दिन पूर्व [illegible] पत्र सहित [illegible] के साथ भिजवायें [illegible] ऐसा व्यक्ति [illegible] [illegible] [illegible] सकता है.

[illegible]

[illegible] संस्थाओं [illegible]

कार्यालय [illegible] मध्यप्रदेश प्रदूषण [illegible] बोर्ड, भोपाल

[illegible] परिसर, ई-5, अरेरा [illegible] भोपाल

[illegible] दिनांक 26 [illegible]

परिसर [illegible] प्राधिकृत अधिकारी [illegible] सूची [illegible]

[illegible] 2012 [illegible] नियंत्रण [illegible] 1974 की [illegible] [illegible] [illegible] हुए [illegible] [illegible] सारणी के [illegible] [illegible] के लिए प्राधिकृत [illegible]

सारणी

अधिकारी	
[illegible]	[illegible]
[illegible] मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण	[illegible]
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण	[illegible]
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	[illegible]
[illegible] रसायनज्ञ, [illegible] नियंत्रण बोर्ड	[illegible]
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण [illegible]	[illegible]
[illegible] मध्यप्रदेश [illegible] बोर्ड	[illegible]

[illegible] आदेश [illegible] प्राप्त किया [illegible] पूर्व अनुमोदन [illegible]

[illegible] प्रदूषण नियंत्रण [illegible]

प्रदर्श-3

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Phone No. 0755-4278342 , E-mail – rompcb-bpl@rediffmail.com

क्रमांक 964 /क्षेका/प्रनिबो/2019 भोपाल,दिनांक 01/02/2019

प्रति,

डॉ0 अविनाश चन्द्र करेरा,
मुख्य रसायनज्ञ,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल ।

विषयः– सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड, लक्कड़गंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद के विरूद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने बावत् ।

संदर्भः– मुख्यालय का पत्र दिनांक 01–01–2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड, लक्कड़गंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धाराओं के अन्तर्गत न्यायालयीन कार्यवाही संस्थापित की गई है । अतः माननीय न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है । कृपया बोर्ड अधिवक्ता के साथ वाद पत्र तैयार कर न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

O/C

(डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

निरीक्षण प्रतिवेदन

सदर्भः— डॉ. श्री. एस मेहता, सिंध हार्डवेयर के पास जनता टॉकीज रोड़ रेस्ट हाऊस एरिया, इटारसी जिला होशंगाबाद से प्राप्त शिकायत।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उक्त शिकायत सी.पी.सी.बी के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी। जिसके संबंध में बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि सीमेन्ट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग, के समय सीमेन्ट हवा में उड़ती है। इस कारण आस—पास के रहवासी लोगों को परेशानी होती है। चूंकि उपरोक्त व्यवसायिक गतिविधि नगर पालिका इटारसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से निवेदन किया गया था कि इस संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पुनः उक्त शिकायत सी.एम.हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक 14/04/2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि शिकायत के निराकरण हेतु न तो दुकान मालिक द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है एवं न ही नगर पालिका इटारसी ने इस संबंध मे कोई कार्यवाही की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी से इस संबंध में चर्चा की गई उनको शिकायत के संबंध में कोई भी जानकारी नही थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही हेतु लिखित निर्देश चाहे गये थे। तदानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को इस कार्यालय के पत्र क्रं 5916 दिनांक 14/09/2017 (संलग्न) के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया। पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी को हंस्तारित की गई है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(डॉ. ए.सी.करेरा)
मुख्य रसायनज्ञ
म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
Paryawaran Parisar, E-5 , Arera Colony, Bhopal (M.P)
Phone No. -0755-2466392 E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

AIR ANALYSIS REPORT

Report No. 618(A)/January/2019

Sample From:- M/s Sindh Hardware Store,
Janta Talkies road, Itarsi,
District- Hoshangabad

Analysed By :- Mr. Ravi Bharti
(Jr. Scientist)

S. No.	Description of sample	Date of collection	Collected by	Date of receipt	Date of analysis
1.	Ambient Air Quality near House of Shri Mehta, Janta Talkies road, Itarsi	22.01.2019	Mr. Ravi Bharti, Jr. Scientist, Mr. S.K. Kashyap, Sampler Regional Office, M. P. Pollution Control Board, Bhopal	25.01.2019	25.01.2019

AMBIENT AIR MONITORING RESULT

S. No.	Parameters	Unit	Result 1
1.	Reparable Suspended Particulate Matter	µg/M^3	236.22

1. Remark [ ] Show that the parameter exceeds the prescribed limit.

Report Prepared by

Chief Chemist

FORM III
[See Rule 17]

REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P)
Phone No. -0755-2466392 E-mail :- romppcb_bpl@rediffmail.com

NOTICE OF INTENTION TO HAVE SAMPLE ANALYZED

To,
Shri Vipin Chandwani
M/s Sindh Harware Store
Janta Talkies Road
Harsi (MP)

Take notice that it is intended to have analysed the sample of

from your premises which is being taken today the 22nd day of Jan 2019 from (1)

Ambient air quality in the vicinity.

For M/s Sindh Hardware Store [signature]

[signature] 22/01/19
Name and designation of the person who takes the sample

(1) Here specify the stack, chimney or any other emission outlets.

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी इटारसी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा अविनाश चन्द्र करेरा
मुख्य रसायनज्ञ,
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण परिसर,, ई--5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल — परिवादी

विरूद्ध

1. सिंध हार्डवेयर स्टोर
   जनता टाकीज रोड
   लक्कडगंज, इटारसी
   जिला--होशंगाबाद

2. श्री विपिन कुमार चांदवानी बल्द श्री अशोक चांदवानी
   अधिगृहिता, सिंध हार्डवेयर स्टोर,
   जनता टाकीज रोड,
   लक्कडगंज, इटारसी,
   जिला—होशंगाबाद — आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. अपराध अन्तर्गत धारा 21 एवं 37 वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

परिवादी निम्नलिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत करता है –

1 यह है कि, परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा--4 के अन्तर्गत हुआ है जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण परिसर, ई--5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल में स्थित है । रायसेन जिला क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के नियंत्रण में आता है

2 यह कि, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अन्तर्गत परिवादी बोर्ड को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करने एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया है । यह अधिनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रभावशील हैं ।

3 यह कि, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 43 के तहत परिवाद श्रवण करने का अधिकार होने से परिवाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

4 यह कि मुख्यालय के पत्र क्रमांक 08 दिनांक 01-01--2018 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिंध हार्डवेयर स्टोर, जनता टाकीज रोड लक्कडगंज, इटारसी, जिला--होशंगाबाद के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं । (प्रदर्श-1)

2 [signature]

5 यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 44 के अनुसार परिवादी बोर्ड में कार्यरत सभी सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी लोकसेवक की श्रेणी में आते है तथा परिवादी बोर्ड की ओर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रथम श्रेणी अधिकारी डॉ0 अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ को परिवादी बोर्ड की ओर से सदर परिवाद प्रस्तुत करने एवं संचालन के लिये मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2012 (**प्रदर्श–2**) के द्वारा अधिकृत किया गया है । डॉ0 अविनाश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ को वर्तमान में परिवाद हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त अधिकार पत्र की प्रति **प्रदर्श–3** अनुसार है । अतः डॉ0 अविनाश चन्द्र करेरा, मुख्य रसायनज्ञ द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

6 यह कि, आरोपी कमांक- 1 सिंध हार्डवेयर स्टोर एक सीमेंट गोदाम है तथा आरोपी कमांक 2 श्री विपिन कुमार चांदवानी वल्द श्री अशोक चांदवानी उक्त गोदाम के अधिभृहिता है, जो उक्त सीमेंट गोदाम संचालन करने के लिए जिम्मेदार हैं । उक्त सीमेंट गोदाम के सभी कार्यकलाप संचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का पूर्ण दायित्व आरोपी कमांक 2 का है । अतः वायु(प्रदूषणनिवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 21 के उल्लंघन परिवाद पत्र में उल्लेखित अपराध हेतु वे उत्तरदायी है।

7. यह कि आरोपी इकाई का स्थल निरीक्षण दिनांक 22–01-2019 को किया गया (**प्रदर्श–4**) कि एवं पाया गया कि सीमेंट गोदाम में लोडिंग, अनलोडिंग के समय सीमेंट हवा में उड़ता जिससे आस पास के रहवासियों को परेशानी होती है । निरीक्षण दिवस इकाई की परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया जिसके परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये (**प्रदर्श–5**) जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं दंडणीय अपराध की श्रेणी में आता है ।

8 यह कि परिवादी अपने परिवाद के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है ।

9 यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 44 के अनुसार परिवादी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं । अतः उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा जाना उचित होगा।

प्रार्थना

अतएव परिवादी बोर्ड की ओर से माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्यायहित में आरोपीगणों को वायु(प्रदूषणनिवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 धारा 21 का उल्लंघन करने के कारण धारा- 37 के तहत समुचित कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार सजा एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने की कृपा करें ।

परिवादी अधिवक्ता
(कृष्ण कुमार खंडेलवाल)

परिवादी
डॉ0 अविनश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी जिला–होशंगाबाद

प्रकरण कमांक

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा अविनाश चन्द्र करेरा
मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण परिसर,, ई–5 अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

परिवादी

विरूद्ध

सिंध हार्डवेयर स्टोर,जनता टाकीज रोड
लक्कड़गंज, इटारसी,जिला–होशंगाबाद व अन्य

आरोपीगण

<u>परिवादी साक्षियों की सूची</u>–

डॉ0 अविनाश चन्द्र करेरा, मुख्य रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

परिवादी अपने परिवाद के समर्थन में दस्तावेजों की छायाप्रतियां निम्नानुसार प्रस्तुत करता है :–

1. जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी को बोर्ड की ओर परिवाद प्रस्तुत करने संबंधी पत्र कमांक 08 दिनांक 01–01–2018 की छायाप्रति ।
2. म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जून 2012 की प्रति ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल द्वारा परिवादी बोर्ड की ओर से न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु जारी अधिकार पत्र ।
4. निरीक्षण रिपोर्ट
5. विश्लेषण रिपोर्ट्स ।

परिवादी अधिवक्ता
(कृष्ण कुमार खंडेलवाल)

परिवादी
डॉ0 अविनश चन्द्र करेरा मुख्य रसायनज्ञ
क्षेत्रीय कार्यालय,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल